

आदेश
मांग के बारे में लिखित
तारीख सं.
3

श्रीमान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>25-03-22</p>	<p style="text-align: center;">जगाबंदी रद्द वाद सं0 2/2016-17 मानिक चन्द साव प्रति शंकर साव आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत अभिलेख मांग बन्द करने के लिए अंचल अधिकारी, धुरकी के द्वारा पत्रांक 304 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा अनुशंसा सहित विविध वाद सं0 2/2016-17 को विधिवत सुनवाई के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। प्राप्त मूल अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस वाद में संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष के द्वारा अपने-अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं प्रथम पक्ष के द्वारा अपना लिखित जबाब एवं कागजात दाखिल किया गया।</p> <p>प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र पर विद्वान अंचल अधिकारी, धुरकी के अभिलेख सं0 2/2016-17 के आलोक में श्रीमान के समक्ष अनुशंसा के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित है। वाद की भूमि मौजा भण्डार अंचल व थाना धुरकी खाता सं0 36 प्लॉट सं0 1255 रकबा 0.45½ एकड़ भूमि मो0 संजीरवा साहुन पति स्व0 शिवनारायण साह रैयती खरीदगी भूमि हासिल है। जिस पर आवेदक मानिकचन्द साव का शांतिपूर्ण दखल कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। जिसका मांग आवेदक के नाम मांगपंजी 2 पेज सं0 154/1 पर मांग चलता है। आवेदक अपने लहाव की भूमि खरीदने की आवश्यकता को देखते हुए अपनी खरीदगी भूमि के 0.45½ एकड़ भूमि में से 0.16 एकड़ भूमि बिक्री करने का प्रस्ताव रखा जिस पर विपक्षी शंकर साव पिता रामचन्द्र साव ने प्रश्नगत भूमि को 3500 तीन हजार पॉच सौ रूपये में खरीदने को तैयार हुए। लेकिन आवेदक ने विपक्षी से बिक्री करने के दिन पैसा मांगा तो विपक्षी ने आवेदक को विश्वास में लाकर कहा कि आप केवाला का निष्पादन कर दिजीए मै घर चल कर पैसा का इंतजाम करके दे दूँगा। जिस पर आवेदक ने विपक्षी पर विश्वास में आकर केवाला सं0 3439 दिनांक 28.06.1997 के अनुसार केवाला में शर्त के अनुसार विक्रय पत्र को निबंधन कार्यालय से निकालने वाले पूर्ण रसीद/चुटका का लेख्यधारी के हाथ में जाना ही इसके पूरे मूल्य का भुगतान समक्षा जाएगा। तब से ही इस लेख्यधारी का स्वागित्व होगा इस शर्त के अनुसार आवेदक ने विपक्षी के नाम केवाला का निष्पादन कर दिया। परन्तु क्रेता शंकर साव जो इस वाद के विपक्षी है।</p> <p style="text-align: right;">लगातार</p>	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2



आदेश
कार्रवाई
दिप्पणी
दस्तावेज की क्रम संख्या
और तारीख
1

जो केवाला के पेज नं0 7 एवं 8 के उल्लेखित विवरण को ताक पर रखते हुए क्रेता विपक्षी को आज तक केवाला में दर्ज पैतीस सौ रूपये को नहीं दिया। जिस कारण मानिकचन्द साव जो इस वाद के आवेदक है के द्वारा बिक्री की गई दस्तावेज सं0 3439 दिनांक 28.06.1997 कैंन्सिलनामा दस्तावेज सं0 4924 दिनांक 12.09.2014 को कैंन्सिल कर दिया। विपक्षी ने केवाला में दर्ज शर्त को ताक पर रखकर बिना दखल कब्जे का निबंधन कार्यालय से निष्पादित केवाला की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर अंचल कार्यालय में सच्चाई को छिपाकर बिक्री की गई प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी कायम करा लिया गया है। जब आवेदक हल्का कर्मचारी के पास रसीद कटाने गए तब मालुम हुआ की विपक्षी के नाम नामांतरण की स्वीकृति मिल गई है तथा आवेदक के नाम से मांगपंजी 2 के पेज नं0 154/1 पर कायम मांग रकबा 0.45½ एकड़ में से रकबा 0.16 एकड़ भूमि घटा दिया गया है। तब आवेदक जानकारी के पश्चात् उक्त केवाला को कैंन्सिल कराया है। क्योंकि विपक्षी का उक्त भूमि पर खरीदगी के दिन से लेकर आज तक कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। और न ही विपक्षी क्रेता ने आवेदक बिक्रेता को पैसा दिया है। आवेदक ने विपक्षी के नाम चल रहे मांग के बन्द करने का आवेदन विद्वान अंचल अधिकारी को दिया जिसमें समुचित जॉचोपरान्त एवं अभिलेख कायम कर दिनांक 03.10.2016 को जमाबंदी रद्द करते हुए बिक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा के पश्चात् श्री मान् के न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। जो विद्वान अंचल अधिकारी को आदेश बिलकुल सही है। सच्चाई है कि विपक्षी ने आवेदक को आज तक पैसा नहीं दिया और न ही बिक्री की गई भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा रहा जो बिक्री की गई भूमि पर वर्तमान में भी आवेदक ने सरसों का फसल लगाया है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है जिसका लाभ उठाकर विपक्षी के द्वारा नियत को वदनियत में बदला है तथा फर्जी कथन के आधार पर भूमि बिना जरम्मन दिए भूमि हड़पन चाहता है। यदि बिक्रेता ने आवेदक को पैसा दिया होता तो बिक्री की गई चुकटा द्वारा ही केवाला निकालकर मांग कर सकते थे। लेकिन छलपूर्वक मांग कायम कराना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः श्री मान् से प्रार्थना है आवेदक की ओर से लिखित जवाब स्वीकार कर विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 को अनुशंसा के आलोक में आवेदक के नाम चल रहे मांगपंजी 2 के पेज नं0 154/1 पर पूर्व का मांग रकबा 0.45½ एकड़ भूमि का कायम करते हुए विपक्षी के रकबा 0.16 एकड़ भूमि का मांग बन्द करने की कृपा की जाय।

लगातार



आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. केवाला सं० 3439 की छायाप्रति 10 फर्द 2. कैंन्सिल केवाला सं० 4924 की छायाप्रति 5 फर्द 3. निबंधन कार्यालय से प्राप्त चुकता की छायाप्रति 1 फर्द <p>प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता की ओर से दाखिल लिखित जवाब, साक्ष्य, कागजातों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि आवेदक/बिक्रेता ने मौजा भण्डार के खाता सं० 36 प्लॉट सं० 1255 रकबा 0.16 एकड़ भूमि विपक्षी/क्रेता शंकर साव पिता रामचन्द्र साव ग्राम भण्डार के हाथों केवाला सं० 3439 दिनांक 28.06.1997 द्वारा बिक्री की गई है। पुनः आवेदक/बिक्रेता द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि का निबंधित केवाला को बिक्रेता को जर्मान की राशि नहीं मिलने के कारण कैंन्सिलनामा दस्तावेज सं० 4924 दिनांक 12.09.2014 को कैंन्सिल कर दिया गया है। निबंधित मूल केवाला का सत्यापित सच्ची प्रतिलिपि के आधार पर अंचल अधिकारी से नामांतरण करा कर बिक्रेता के नाम से मांगपंजी 2 पर दर्ज रकबा 0.45½ एकड़ भूमि में से बिक्री रकबा 0.16 एकड़ भूमि घटा कर क्रेता/विपक्षी शंकर साव के नाम से मांग कायम कर दिया गया है।</p> <p>विपक्षी तीन तिथियों से लगातार अनुपस्थित है और न ही उनके द्वारा इस वाद में कोई रूची ली जा रही है। विपक्षी द्वारा स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भी कोई पैरवी नहीं की गई। और न ही जबाब, प्रतिउतर दिया गया है। जिसमें एक पक्षीय सुनवाई की गई है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक/बिक्रेता के जबाब को स्वीकृत करते हुए विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूमि रकबा 0.16 एकड़ भूमि घटाकर आवेदक के नाम चल रहे मांगपंजी 2 के पेज नं० 154/1 पर जोड़ते हुए कुल रकबा 0.45½ एकड़ भूमि का मांग कायम रखा जाता है। इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, धुरकी को अनुपालन हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर। </div> <div style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर। </div> </div>	